RTE certificate

प्रारूप –2

(नियम 8–क का उप नियम(4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बून्दी

क्रमांक :– जिशिअ/प्रांशि/को/मान्यता/15–16/1956 दिनांक :– 28-03-2016

अध्यक्ष/प्रंबधक, प्रंबध समिति
वेदान्त पब्लिक स्कूल, तुलसी
ब्लॉक तालेडा।

विषय :– नियम 8–क के उप नियम (4) के अधिन विद्यालयों के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र

आपके आवेदन दिनांक 30.04.2015 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संबंध में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बून्दी (विद्यालय का नाम व पता) वेदान्त पब्लिक स्कूल, तुलसी ब्लॉक तालेडा को 2016 से 2019 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 01 से 05 तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो पूर्ति के अध्यधीन होगी :–

01. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नही होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता/संबंधता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(2009 का केन्द्रिय अधिनियम संख्या 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के उपबन्धो का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा–1 में या यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा के छात्र संख्या की सीमा तक आस पडोस के कमजोर वर्ग व अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों के अनुसरण के प्रति पूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नही करेगा और बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी छटाई प्रकिया का पात्र नही बनायेगा।
06. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इन्कार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :–
(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निस्कासित नही किया जावेगा।
(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसीक उत्पीडन का पात्र नही होगा।
(iii) किसी बालक से उसकी प्रांरभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उर्त्तीण करना अपेक्षित नही होगा।
(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2011 के नियम 23 के अधिन यथा–अधिकथित प्रमाण पत्र प्रधान किया जावेगा।
(v) 2009 के अधिनियम के उपलब्धो के अनुसार निर्योग्यता /विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियो को सम्मिलित किया जावे।
(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1)के अधिन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ सहित भर्ती की जाये परन्तु वर्तमान अध्यापक ,जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्युनतम अर्हताएं नही रखते है, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपलब्धो के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।
(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधिन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यो का निवर्हन करते है, और
(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन कियाकलापो मे नही लगायेगें।
07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयकम के आधार पर पाठयविवरण का अनुसरण करेगें।

08. विद्यालय,2009 के अधिनियम की धारा 19 मे यथा–विनिर्दिष्ठ मान और मानको का अनुसरण करेगें।

अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई सुविधाए निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र .... 5000 वर्गफीट

खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र ....2000 वर्गफीट

कक्षा के कमरो की संख्या 10

प्रधानाध्यापक एंव कार्यालय एंव मण्डार कक्ष 2

लडके और लडकीयो के लिये पृथक–पृथक शोचालय :–............................4

पीने के पानी की सुविधा ....हाँ

मिड–डे मील पकाने के लिये रसोई ....नही

अवरोध मुक्त पहुंच...हाँ

अध्यापन विज्ञता सामग्री / खेल–कुद उपस्कर / पुस्तकालय की उपलब्धता।....................................हाँ

09. विद्यालय परीसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जावेगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य सरंचनाएं या मैंदान केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजना के लिये उपयोग मे लिये जावेगें।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860का केन्द्रीय अधिनियम सं0 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1985 (1958का अधिनियम संख्या28) के अधिन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधिन गठित किसी लोक नियास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय , किसी व्यक्ति , व्यक्तियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिये नही चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकांउटेट द्वारा लेखो की संपरीक्षा और उन्हे प्रमाणित किया जावेगा और नियमो के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जावेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जावेगी।

आपके विद्यालय को अवंटित मान्यता कोड संख्या 0802304068 है।

कृपया इसे नोट किया जावे और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिये इसे उपकथित किया जावे।

14. विद्यालय, ऐसी रिर्पोट और सूचना देगा जिनकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जावे और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशो का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण मे त्रुटियो का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिये उनके द्वारा जारी किये जाये।

15. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण यदि कोई हो, सुनिश्चित करे।

16. अन्य शर्ते सलंग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, बून्दी

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बून्दी